

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-42/2019/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	दुष्यन्त कुमार जानी	नर्स प्रथम	सिरोही	22.08.1959	31.08.2019
2.	पवन कुमार शर्मा	नर्स प्रथम	सीकर	22.09.1959	30.09.2019
3.	कन्हैया लाल गर्ग	नर्स प्रथम	चित्तोडगढ़	05.09.1959	30.09.2019
4.	सुन्दारी मुण्डा	नर्स प्रथम	झालावाड	11.10.1959	31.10.2019
5.	महेन्द्र प्रकाश परिहार	नर्स प्रथम	जयपुर	22.11.1959	30.11.2019
6.	देवेश कुमार राठौड़	नर्स प्रथम	झालावाड	12.11.1951	30.11.2019
7.	कजोडमल जाट	नर्स प्रथम	चुरू	01.01.1960	31.12.2019
8.	प्रकाश चन्द्र जैन	नर्स प्रथम	उदयपुर	20.01.1960	31.01.2020
9.	मीना कुमारी शर्मा	नर्स प्रथम	उदयपुर	22.02.1960	29.02.2020
10.	पद्मेश कुमार	नर्स प्रथम	उदयपुर	20.03.1960	31.03.2020
11.	प्रागला खोदरिया	नर्स प्रथम	उदयपुर	15.03.1960	31.03.2020
12.	मगन लाल पटेल	नर्स प्रथम	उदयपुर	14.03.1960	31.03.2020
13.	चन्द्र प्रभा शर्मा	नर्स प्रथम	उदयपुर	15.04.1960	30.04.2020
14.	सुख कुवर राजपुत	नर्स प्रथम	उदयपुर	01.05.1960	30.04.2020
15.	अन्नाम्मा एम.सी.	नर्स प्रथम	उदयपुर	20.05.1960	31.05.2020
16.	राधाम्मा सी.	नर्स प्रथम	उदयपुर	08.05.1960	31.05.2020
17.	थनकम्मा के.	नर्स प्रथम	उदयपुर	18.05.1960	31.05.2020
18.	रमेश चन्द्र मोची	नर्स प्रथम	उदयपुर	05.08.1960	31.08.2020
19.	सुनीता कवन	नर्स प्रथम	उदयपुर	02.08.1960	31.08.2020
20.	अरुणा भावसार	नर्स प्रथम	उदयपुर	09.08.1960	31.08.2020
21.	ललिता व्यास	नर्स प्रथम	उदयपुर	01.12.1960	30.11.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 28.08.2019

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-42/2019/388

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महापिद्यालय।
4. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर